(वाद सं0–6146/18)

03.10.2019

परिवादी, सुरेन्द्र कुमार झा, उपस्थित हैं।

आयोग के दिनांक–27.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा की समीक्षात्मक टिप्पणी (पृ0–66–65/प0) प्राप्त हुई।

परिवादी को सुना।

प्रस्तुत मामला परिवादी के 80 वर्षीय चचेरे भाई, छेदानन्द झा, की दिनांक–26.06.2017 को की गयी हत्या से संबंधित छातापुर थाना कांड सं0–229/17, दिनांक–26.06.2017 में परिवादी के गलत अभियुक्तिकरण से संबंधित है।

मृतक के पुत्र, शंभुनाथ झा, द्वारा दिनांक–26.06.2017 को अपने पिता छेदानन्द झा की हत्या को लेकर अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भा0द0स0 की धारा 302 के अन्तर्गत छातापुर थाना कांड सं0–229/17 संस्थित किया गया। अनुसंधान व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज के पर्यवेक्षणोंपरान्त प्रसंगाधीन कांड में चार अप्राथमिकी अभियुक्तों, 1. आदित्य झा 2. राजेश उर्फ अंकू झा 3. अरूण झा तथा 4. पुनम पाठक के विरूद्ध उनके संलिप्तता के संबंध साक्ष्य प्रकाश में आया। चूंकि मृतक छेदानन्द झा के मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः उसके विसरा के विधि–विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन की अनुपलब्धता के कारण आरोप–पत्र समर्पित नहीं किया जा सका। पुलिस अधीक्षक, सुपौल द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज के उपरोक्त पर्यवेक्षण से सहमति व्यक्त की गयी। तत्पश्चात् पुलिस उप–महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा द्वारा प्रसंगाधीन कांड की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरान्त उपरोक्त चारो अप्राथमिकी अभियुक्तों के साथ–साथ परिवादी के विरूद्ध भी उनकी संलिप्तता को सत्य पाकर अग्रतर अनुसंधान करने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा बिहार मानवाधिकार आयोग में अपने गलत अभियुक्तिकरण के संबंध में प्रसंगाधीन परिवाद–पत्र दाखिल किया गया। आयोग द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा को मामले की समीक्षा कर प्रतिवेदन देने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि मृतक के पुत्र व परिवादी के बीच एक रास्ता को लेकर विवाद था, हालांकि उक्त विवाद से परिवादी का कोई सीधा संबंध नहीं था। केवल इसी आधार पर परिवादी को प्रस्तुत कांड में एक अप्राथमिकी अभियुक्त बना दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त एक मात्र साक्ष्य/अनुमान के आधार पर परिवादी के विरूद्ध उसकी संलिप्तता को सत्य नहीं

माना जा सकता। परिवादी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलन के बाद ही उसके अभियुक्तिकरण के बिंदु पर निर्णय लिया जाना उचित होगा। पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि कांड के मृतक के भेसरा के विधि–विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन को यथाशीघ्र प्राप्त करने हेतु कांड के अनुसंधानकर्त्ता को निर्देश दिया गया है तथा उक्त प्रतिवेदन व परिवादी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के बाद ही पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा द्वारा प्रस्तुत कांड के अगले प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किये जाने की बात कही गयी है।

प्रस्तुत मामला वर्तमान में अन्वेषणाधीन है तथा पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा द्वारा प्रस्तुत मामले की समीक्षा की जा रही है। अतः आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन कांड के अनुसंधान के संबंध में कोई दिशा–निर्देश दिया जाना उचित नहीं होगा।

अतः उक्त के आलोक में आयोग के स्तर पर प्रस्तुत मामले को बंद किया जाता है।

कार्यालय आज पारित आदेश की प्रति के साथ पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा के दिनांक 20.07.2019 के समीक्षात्मक प्रतिवेदन की छाया प्रति परिवादी को सूचनार्थ उपलब्ध करा दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक